Research Paper | Education | E-ISSN No : 2454-9916 | Volume : 9 | Issue : 9 | September 2023

राजनांदगांव जिले में मनरेगा की भूमिका का अध्ययन (महिला आर्थिक सशक्तिकरण के विशेष परिपेक्ष्य में)

डo. के पद्मावती[1], मंजु[2]

[1] सहायक प्रध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशाषि महाविद्यालय, दुर्ग (छ. ग.)
[2] शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशाषि महाविद्यालय, दुर्ग (छ. ग.)

ABSTRACT

केन्द्र सरकार ने पाँच करोड़ परिवारों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से मनरेगा श्रमिकों के मजदूरी दर में वृध्दि की घोषणा की गयी हैं जिससे प्रतिदिन प्रति व्यकि अर्जित आय को 182 रूपये से बढ़ाकर 202 रूपये कर दिया गया हैं। स्थानीय जिला आयुक्तों को काम आंवटित करने और तदनुसार निधि का उपयोग करने के लिए अधिकार दिया गया है जो ग्रामीण महिला श्रमिकों को लाभान्वित करने के लिए उनके क्षेत्र में आपेक्षित आवश्यकताओं पर निर्भर करता हैं।

यह योजना भारत में सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशो में संचालित हैं। प्रत्येक राज्य में जिले हैं, फिर जिलो के भीतर ब्लॉक और ब्लॉको के भीतर वार्ड हैं इस योजना के तहत ब्लॉक में सार्वजनिक कार्य से संबंधित रोजगार दिया जाता हैं। एवं धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को जारी की जाती हैं। राज्य फिर स्थानीय निकायो यानी ग्राम पंचायतो को धन देते हैं जिससे सभी मजदूरो के खाते ग्राम पंचायतो से पंजीकृत होते हैं।

KEYWORDS: मनरेगा योजना, महिला आर्थिक सशक्तिकरण, अधिनियम,

प्रस्तावना

राजनांदगांव 26 जनवरी सन् 1973 को तात्कलिक दुर्ग जिले से अलग होकर अस्तित्व में आया रियासत काल में राजनांदगांव एक राज्य के रूप में विकसित था। एवं यहाँ पर सोमवशी कलचुरी एवं मराठाओं का शासन रहा। पूर्व में यह नंदग्राम के नाम से जाना जाता था। यहाँ की रियासत कालीन महल, हवेली, राजा मंदिर इत्यादि स्वयं इस जगह की गौरवशाली समाज संस्कृति परम्परा एवं राजाओं की कहानी कहता हैं। साहित्य के क्षेत्र में श्री गजानंद माधव मुक्तिबोध एवंश्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी तथा बल्देव प्रसाद मिश्र का योगदान विशिष्ट रहा हैं। 1 जुलाई सन् 1998 में इस जिले के कुछ हिस्से को अलग कर एक नया जिला कबीरधाम की स्थापना हुई जिला राजनांगांव छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य भाग में स्थित हैं। जिला मुख्यालय राजनांदगांव दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मार्ग में स्थित हैं। राष्ट्रिय राजमार्ग 6 राजनांदगांव से होकर गुजरता हैं।

मनरेगा योजना को भारत सरकार द्वारा एक रोजगार गारंटी के रूप में लागू किया गया हैं इस योजना को विधान सभा द्वारा 7 सितम्बर 2005 को पारित किया गया उसके बाद 2 फरवरी 2006 को 200 जिलों में लागू कर दिया गया। मनरेगा योजना को शुरुआत में राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा कहा जाता था 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर महात्मा गाँधी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार गारंटी कर दिया गया मनरेगा योजना विश्व की एक मात्र ऐसी योजना हैं जो ग्रामीण मजदूरों को एक वित्त वर्ष में 100 दिनो की रोजगार गारंटी देती हैं। देश की ग्रामीण गरीब और बेरोजगार परिवार को अजीविका के लिए इस योजना का आरंभ किया गया हैं जिससे महिलाओं के सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार हो।

महिला आर्थिक सशक्तिकरण की अवधारणाः महिला सशक्तिकरण की अवधारणा, महिलाओं को आर्थिक सामाजिक एंव राजनैतिक रूप से उसे सशक्त (मजबूत) बनाना ही महिला सशक्तिकरण हैं। कुछ समय पूर्व विश्व आर्थिक मंच की तरफ ग्लोबल जेंडर इंडेक्स नामक एक आयोजन किया गया था जिसमें सभी राष्ट्रों की लैंगिक समानता को दर्शाया गया और वहां भारत का स्थान 87 वां था जिसमें ये साबित हो जाता हैं कि अभी हम कितने पिछे हैं और हमारे देश का आगे बढ़ना मुमकिन नही इन्ही सब अवधारणा को देखते हुए महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना हैं। तथा महिलाओं के सशक्त होने से पूरा समाज अपने आप सशक्त हो जायेगा।

महिला आर्थिक सशक्तिकरण की आवश्यकता :

सशक्तिकरण से तात्पर्य किसी व्यक्ति की उस क्षमता से हैं जिससे उसमें योग्यताएँ आ जाती हैं जिससे वे अपने जीवन से जुड़े सभी निर्णय स्वयं ले सके। महिला सशक्तिकरण में जहाँ महिलाएँ परिवार और समाज के सभी बंधनो से मुक्त होकर अपने निर्णयों की निर्माता खुद हो।

लैगिंक असमानता भारत में मुख्य सामाजिक मुद्दा हैं जिसमें महिलाएँ पुरुषवादी प्रभुत्व देश में पिछड़ती जा रही हैं। पुरुष और महिला को बराबरी पर लाने के लिए महिला सशक्तिकरण में तेजी लाने की जरूरत हैं। सभी क्षेत्रों में महिलाओं का उत्थान राष्ट्र की प्राथमिकता में शामिल होना चाहिए। महिला और पुरुष के बीच की असमानता कई समस्याओं को जन्म देती है जो राष्ट्र के विकास में बड़ी बाधा के रूप में सामने आ सकती हैं। और ये महिलाओं का जन्मसिद्ध अधिकार है कि उन्हे समाज में पुरुषो के बराबर महत्व मिले। परंतु वास्तव में सशक्तिकरण को लाने के लिए महिलाओं को अपने अधिकारों से अवगत होना चाहिए न केवल घरेलु और परिवारिक जिम्मेदारियों बल्कि महिलाओं को हर क्षेत्रों में सक्रिय और सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए और अपने आस पास एवं देश में होने वाली घटनाओं को भी जानना चाहिये।

महिलाओं को सशक्त बनाने में मनरेगा की भूमिका :

महात्मा गांधी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) महिलाओं को कार्य देने के साथ ही आत्मनिर्भर भी बना रहा हैं। मनरेगा में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए तेज काम दिया जा रहा हैं। और इस योजना में श्रमिक के रूप में महिलाएँ शुरू से ही काम कर रही हैं लेकिन अब इसमें 50 फीसदी महिलाओं को जो मनरेगा में तीन साल से काम कर रही हैं उन्हे मेट बनने का अवसर दिया गया हैं। राजनांदगांव जिले में 4 विकासखण्ड हैं एवं इन सभी विकासखण्डों में मनरेगा कार्य संचालित है – राजनांदगांव में 112 ग्राम पंचायत एवं डोगरगांव में 76 ग्राम पंचायत और डोगरगढ़ में 102 तथा छुरिया में 118 ग्राम पंचायत हैं जिसमें हर साल मनरेगा का काम संचालित किया जाता हैं।

50 मनरेगा मजदूरो पर एक मेट काम करता हैं। मनरेगा के तहत जहां काम हो रहा हैं वहां पर 50 से अधिक श्रमिक काम करते हैं तो उन पर एक को पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी सौंपी जाती हैं।

Copyright© 2023, IERJ. This open-access article is published under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License which permits Share (copy and redistribute the material in any medium or format) and Adapt (remix, transform, and build upon the material) under the Attribution-NonCommercial terms.

मनरेगा योजना के आर्थिक प्रभाव : महात्मा गाँधी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – इस योजना के तहत (6 जनवरी 2023 तक) कुल 5.6 करोड़ परिवारों को रोजगार प्राप्त हुआ और 225.8 करोड़ दिवस रोजगार सृजित हुए हैं। मनरेगा के तहत कार्यो और रोजगार के अवसर साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं वित्त वर्ष 2022 में 85 लाख कार्य पूरे किए गये और वित्त वर्ष 2023 में 9 जनवरी 2023 तक 70.6 लाख कार्य पुरे हो चुके हैं। इन कार्यो में तलाब खोदना , कुएं बनाना, पौधा रोपण आदि के लिए लाभार्थियों को श्रमिक और निर्माण सामग्री उचित दर पर प्राप्त होते हैं इसी तरह से दो से तीन साल की छोटी सी अवधि में इस तरह की उपायों का कृषि उत्पादकता उत्पादन संबंधी खर्च, प्रति ,परिवार, आय प्रवास में कमी, गैर संस्थागत स्त्रोतों से बेवजह के ऋण लेने से काफी हद तक सकारात्मक असर पड़ा हैं। ग्रामीणो के जीवन में बेहतरीन बदलाव के लिए बल दिया गया हैं। महात्मा गाँधी राष्ट्रिय ग्रामीण गारंटी योजना मनरेगा के तहत रोजगार के लिए मांग में कमी आई हैं जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि की संभावना हैं।

वित्तीय वर्ष	प्रतिदिन प्रति व्यक्ति अर्जित आय
2018 - 19	172
2019 - 20	174
2020 - 21	176
2021 - 22	193
2020 - 23	204
2023 - 24	221

तालिका क्रमांक – 1

मनरेगा के अन्तर्गत अर्जित मानव दिवस का विवरण वित्तीय वर्ष 2018 – 19 से 2023 – 24 तक

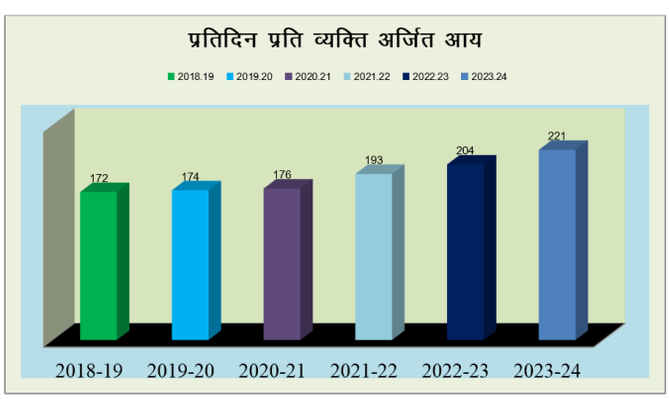

शोध उपलब्धियाँः उपयुक्त समंको के विश्लेषण से निम्नलिखित जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं

राजनांदगांव जिले में मनरेगा कर्मियो की संख्या

आयु वर्ग	राजनांदगांव		डोंगरगांव		डोंगरगढ़		छुरिया		कुल	
	पु.	म	पु.	म	पु.	म	पु.	म	पु.	म
18-25	2	5	5	11	4	8	6	6	17	30
25-30	2	4	25	45	9	19	10	20	46	88
30-35	5	10	34	34	18	19	13	15	70	78
35-40	11	13	47	53	17	17	16	19	91	102
40-45	9	7	33	30	15	10	15	26	72	73
45-50	5	3	23	19	7	4	21	15	56	41
50-55	4	0	20	12	4	4	14	9	42	25
55-60	3	3	8	8	5	0	6	4	22	15
60-65	1	0	1	1	0	0	4	1	6	2
65-70	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
कुल	**42**	**45**	**196**	**213**	**79**	**81**	**106**	**115**	**423**	**454**

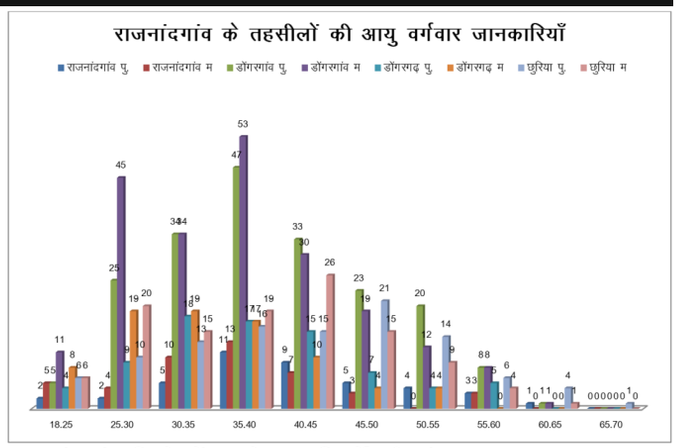

राजनांदगांव जिले में मनरेगा कर्मियों की संख्या –

1. मनरेगा कर्मियों की संख्या राजनांदगांव जिलें के राजनांदगांव विकासखण्ड में 42 पुरूश एवं 46 महिलाएँ, डोंगरगांव विकासखण्ड 196 पुरुष एवं 213 महिलाएँ हैं तथा डोंगरगढ़ विकासखण्ड में 79 पुरुष एवं 81 महिलाएँ और छुरिया विकासखण्ड में 106 पुरुष तथा 115 महिलाएँ मनरेगा कर्मियों के रूप में अपने सेवाएं दे रही हैं।
2. लैंगिग अनुपात राजनांदगांव जिले में कुल 877 मनरेगा कर्मी हैं जिसमें से पुरुष 423 तथा महिलाएँ 454 हैं। इसमें यह भी सपष्ट होता हैं कि पुरुषों के तुलना में महिलाएँ अधिक हैं।

राजनांदगांव जिले के विभिन्न वर्गानुसार मनरेगा कर्मियों की संख्याः

क्रमांक	विकासखण्ड	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य	योग
1.	राजनांदगांव	1	13	48	0	**62**
2.	डोंगरगांव	12	41	166	3	**222**
3.	डोंगरगढ़	0	0	45	0	**45**
4.	छुरिया	9	11	93	7	**120**
	योग	**22**	**65**	**352**	**10**	**449**

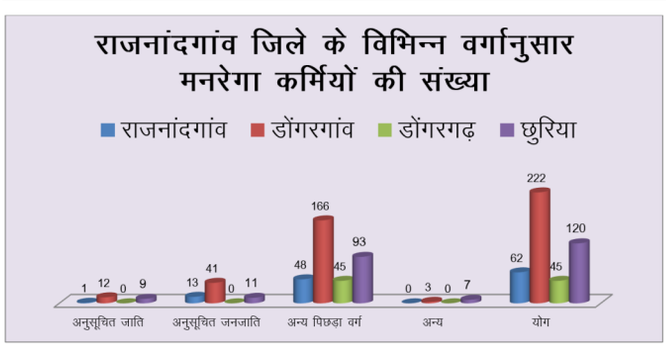

उपयुक्त समंको के विश्लेषण से निम्नांकित जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं :–

1. राजनांदगांव जिले के विभिन्न वर्गानुसार मनरेगा कर्मियों की संख्या, राजनांदगांव जिले में 4 विकासखण्ड हैं – राजनांदगांव, डोंगरगांव, डोंगरगढ़, छुरिया, इन सभी विकासखण्डों में कुल 22 अनुसूचित जाति एंव 65 अनुसूचित जनजाति और 352 अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 10 अन्य जाति वर्गानुसार मनरेगा कर्मियों की संख्या हैं।
2. राजनांदगांव जिले के राजनांदगांव विकासखण्ड में कुल 449 वर्गानुसार मनरेगा कर्मियों की संख्या हैं।

सुझावः ग्रामीण महिलाओं में शिक्षा की कमी एवं उनके विकास में सबसे ज्यादा अवरोधक का कार्य कर रही हैं अतः महिलाओं की शिक्षा एवं उनकी आर्थिक स्थिति पर विशेष ध्यान देना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ग्रामीण अंचलों में लड़कियों की शिक्षा के साथ कोई पक्षपात नही होना चाहिए।

महात्मा गाँधी नरेगा योजना के सिध्दांत में कोई कमी नही हैं लेकिन इसका जिस तरह से क्रियान्वयन किया जा रहा हैं वह प्रक्रिया दोषपूर्ण हैं। अतः इस योजना के क्रियान्वयन के दोषो को दूर करने पर जोर दिया जाना चाहिये।

मनरेगा योजना को अधिक प्रभावी तथा परिणाममूलक बनाने के लिए आवश्यक हैं कि जवाबदेही के साथ–साथ ग्राम पंचायतो को उसकी स्थानीय जरूरत के अनुसार कार्य चुनने औंर मनरेगा लाभार्थियों को भागीदारी बनाने के लिए ज्यादा अधिक दिया जाए।

मनरेगा अधिनियम में महिला श्रमिको विधवा, तलाक शुदा, अविवाहित के लिए मुख्य जीविकोपार्जन हैं। इससे प्राप्त होने वाले मजदूरी दर उनके आर्थिक आर्जन का स्त्रोत हैं मजदूरी दर भुगतान के देरी से उनकी आर्थिक स्थिति में बुरा प्रभाव पडता हैं। अतः मजदूरी दर की भुगतान प्रक्रिया को सरल बनाने की आवश्यकता हैं।

निष्कर्ष उपरोक्त समंको के विश्लेषण से यह पाया गया हैं कि वर्तमान परिवेश में रोजगार को देश की आर्थिक स्थिति का प्रतिक माना जाता हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महात्मा गाँधी रोजगार गारंटी योजना दिनो दिन बढ़ता जा रहा हैं एवं गांवो के विकास के लिए ग्राम पंचायत की भूमिका महत्वपूर्ण हैं जैसे–शिक्षा, स्वच्छता, लघु सिचाई, पेयजल सड़को का निर्माण आदि कार्यो का दायित्व पंचायतो का होता हैं। इस प्रकार के कार्यो का संचालन से ही ग्रामीण लोगो के पलायन की प्रवृत्ति को रोका जा सकता हैं।

महात्मा गाँधी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में पंजीकृत परिवारो को रोजगार प्रदान किया गया हैं लेकिन पूर्ण रोजगार की स्थिति नही हैं। सरकार द्वारा योजना का क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देना चाहिए जिससे की प्रत्येक पंजीकृत परिवार को लाभ प्राप्त हो सके।

संदर्भ ग्रन्थ सूची शोध पत्र एवं पुस्तकेंः

1. छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग –2007
2. महात्मा गाँधीराष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005,
3. मिश्र. डॉ. जगन्नाथ. (1998). भारतीय आर्थिक विकास की नई प्रकृतियाँ. विकास पब्लिकेशन हाऊस, दिल्ली,
4. छत्तीसगढ़ जनसंख्या रिपोर्ट 2011 जिला पंचायत, राजनांदगांव

ग्रंथ सूचीं:

1. narega.nic.in
2. narega.net
3. mgnrega.cg.gov.in
4. knowledge.nrega.net